राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम</th><th>प्रत्यर्थी विभाग</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th><th>अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2537 / 2023
सुनीता कुमारी</td><td>1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
5. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुकनवाली, जिला नागौर।</td><td rowspan="6">27.09.2023</td><td rowspan="3">श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2538 / 2023
सुभीता देवी</td><td>उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक पीपराली, सीकर।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2539 / 2023
मंजू कुमारी</td><td>उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
4. खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक कुदन, सीकर।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2552 / 2023
प्रेमलता सैनी</td><td rowspan="4">1. राजस्थान सरकार जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राज.)।</td><td rowspan="4">श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय, अभिभाषक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2553 / 2023
बीना कुमारी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2554 / 2023
सरोज सैनी</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2577 / 2023
शीतल</td><td>29.09.2023</td></tr>
</table>

आदेश की दिनांक : 03.10.2023

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2537 / 2023 सुनीता कुमारी बनाम राजस्थान

राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूकनवाली, जिला नागौर में कार्यरत है एवं वर्तमान में अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 15.09.2023 के द्वारा पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश में कार्मिक से तीन रिक्त पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन हेतु विकल्प पत्र मांगा गया और पदस्थापन के संबंध में प्रारूप में तीन रिक्त वांछित पदस्थापन स्थान का विकल्प पत्र निदेशालय को भेजने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 10.07.2023 को रिक्त पद दर्शाते हुए पदस्थापन के संबंध में विकल्प पत्र भरकर विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा विकल्प पत्र में भरे गए रिक्त पद स्थान पर पदस्थापित न करते हुए अन्यत्र स्थान पर पदस्थापित कर दिया, जो नीति एवं निर्देशों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को विकल्प पत्र में दर्शाए गए रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2023 का क्रियान्वयन अपीलार्थीगण के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वे चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत थे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण को उनके द्वारा दिए हुए विकल्प पत्र में दर्शाए गए रिक्त पदों के आधार पर स्थान पर 7 दिवस में पदस्थापन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। विलम्ब से पदस्थापन किए जाने के कारण अपीलार्थीगण की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2537/2023 सुनीता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य